शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशारोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल–registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमाक 2233/अका./पात्रता/2025 रायगढ़, दिनाक 18.07.2025

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़,
जिला–रायगढ़(छ.ग.)

विषयः– विभिन्न स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में सत्र 2025–26 हेतु प्रवेश के संबंध में छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत सत्र 2025–26 के अधीन पात्रता प्रमाण पत्र हेतु दिशा निर्देश।

संदर्भः–01. प्रवेश मार्ग दर्शिका 2025–26 वि.वि. का पत्र क्र.2133/अका./2025–26 रायगढ़ दिनांक 09.06.2025।

02. अटल बिहारी वाजपेयी वि.वि. बिलासपुर का पत्र क्र. 662/अका./पात्रता/2023–24 बिलासपुर दिनांक 07.07.2023

विषयांतर्गत निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:–

01. ऐसे विद्यार्थी/अभ्यर्थी जिन्हें पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैः–

अ. स्नातक स्तर मात्र प्रथम वर्ष के लिए–

(I) छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर एवं राज्य शासन द्वारा मान्य बोर्ड सी.बी.एस.ई.आई.सी.एस.ई.के द्वारा संचालित विद्यालयों से 10+2(बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियो को तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (NIOS) के द्वारा आयोजित 10+2(बारहवीं) की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

(II) काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इण्डिया (COBSC) की सूची में सम्मिलित बोर्ड से 10+2(बारहवीं) उत्तीर्ण विद्यार्थियों छात्र/छात्राओं को पात्रता प्रमाण की आवश्यकता नही है।

(III) छ.ग. प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयो में स्नातक स्तर पर एकीकृत पाठ्यक्रम प्रभावशील होने के कारण स्नातक स्तर के भाग–1 अथवा भाग–2 उत्तीर्ण अथवा भाग–3 अनुत्तीर्ण छात्र/ छात्राओं को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिएः–

01. छ.ग. राज्य स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों/स्वशासी विश्वविद्यालयो/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/ छ.ग.राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों से स्नातक की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के भाग प्रथम में प्रवेश की पात्रता हेतु पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यता नहीं है।

02. ऐसे विद्यार्थी जिन्हे पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हैः–

अ. स्नातक स्तर के लिएः–

01. छ.ग.प्रदेश के स्वशासी विश्वविद्यालयो /मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालय/से अधूरा पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम पूर्ण करते समय परीक्षा पद्धति परिवर्तन (सेमेस्टर से वार्षिक) करने पर पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यता है।

ब. स्नातकोत्तर स्तर के लिएः–

01. छ.ग. प्रदेश के बाहर के मान्य विश्वविद्यालयो से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर स्तर के लिए प्रवेश हेतु पात्रता प्रमाण की आवश्यकता है।

02. छ.ग. प्रदेश के स्वशासी विश्वविद्यालयों/निजी विश्वविद्यालयों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयो से अधूरा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता हैं।

03. पात्रता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रियाः–

01. पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फार्म विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध है। छात्रों को आवेदन फार्म भरकर समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी से अग्रेषित कराकर ही विश्वविद्यालय पात्रता प्रकोष्ठ में निर्धारित पात्रता शुल्क के साथ जमा करना होगा। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रक्रिया पूर्ण कर पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

02. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य /प्रवेश प्रभारी पात्रता आवेदन फार्म अग्रेषण पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि महाविद्यालय में सीट रिक्त है एवं आवेदनमय दस्तावेज पूर्ण है। किसी भी परिरिस्थिति में अपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे।

03. पात्रता के लिए आवेदन कर रहे आवेदको का निर्धारित प्रपत्र के साथ पूर्व में उत्तीर्ण किये गये परीक्षा के समस्त वर्षो/सेमेस्टर की अंकसूचियों को अनिवार्यतः संलग्न करना होगा। इन अंकसूचियो मे पूर्णांक व प्राप्तांक का उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी /प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर ले।

04. यदि कोई आवेदक अंकसूचियों के स्थान पर ट्रांसक्रिप्ट प्रस्तुत कर रहा है तो इस ट्रांसक्रिप्ट मे प्रत्येक वर्ष /सेमस्टर में लिए गये विषयो का एवं पूर्णांक व प्राप्तांको का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रवेश प्रभारी /प्राचार्य इसकी जांच अवश्य कर ले तत्पश्चात ही आवेदन अग्रेषित करें।

05. बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पात्रता का निर्धारण एन.सी.टी.ई.द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जावेगा।

06. नियमित विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राचार्य/प्रवेश प्रभारी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र पर संबंधी अग्रेषित आवेदन ही स्वीकार्य होंगे। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों के लिए पात्रता पेनाल्टी राशि महाविद्यालय तथा छात्र पर (यथास्थिति) अधिरोपित की जा सकेगी। स्वाध्यायी छात्रों हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अग्रेषित आवेदन स्वीकार्य होंगे, तत्पश्चात प्राप्त आवेदनो पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की जावेगी।

07. प्राचार्यो से अपेक्षा है कि जिन छात्रों का नाम प्रवेश की प्रावीण्य सूची में उल्लेख है, उन्ही के पात्रता आवेदन पत्र को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

08. छ.ग. शासन द्वारा जारी प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2025–26 में उल्लेखित प्रावधानों/निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।

उक्त संदर्भित पत्र का पालन करना अनिवार्यतः सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव(प्रभारी)

पृ.क्र. 2234/अका./पात्रता/2025 रायगढ़, दिनांक 18.07.25

प्रतिलिपिः–

1. कुलपति के निज सचिव माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव(प्रभारी) के निज सहायक को कुलसचिव(प्रभारी) के सूचनार्थ।
3. समस्त प्रभारी अधिकारी–शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़, जिला रायगढ़(छ.ग.)
4. विश्वविद्यालय के वेबसाइट में अपलोड हेतु।
5. कार्यालयीन प्रति।

प्रभारी अधिकारी (अका.)

SHAHEED NANDKUMAR PATEL VISHWAVIDYALAYA, RAIGARH (C.G.)

Application for Eligibility

To,

The Registrar,
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya,
Raigarh, (C.G.)

Sir,

I am seeking admission in a college affiliated to your University. As I have migrated from other State/University, I need Eligibility Certificate from the University. Kindly provide it to me. I will be grateful to you.

My personal and academic details are as given hereunder :-

Personal Details:-

Name of the course applying for:- ....

Session :- ....

Name of the Applicant (in Capital):- ....

Gender :- ....

Date of Birth :- ....

Father's name :- ....

Mother's name :- ....

Address :- ....

Academic Details:-

Particulars of Qualifying Examination:-

Name of the Course :- ....

Name of the University/Bord :- ....

Name of the College/Institute/UTD :- ....

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Specify details of gap in Study (if any)

Roll No.	Month & Year of Passing	Percentage	Division/Grade

Signature of Applicant
Mobile No.
Date:-

To be filled in only by the applicants seeking equivalence of the course

Name and Year of the Course applying for :- ....
(Part-II/Part-III/Sem-II/Sem-III/Sem-IV/Final)

Name of the College :- ....
Name and Year of passing previous Examination of the course :- ....
(Part-I/Part-II/Sem-I/Sem-II/Sem-III/Previous)
Name of the University :- ....
....
Name of the College/Institute/UTD :- ....
....

Signature of the Applicant
Mobile Number
Date:-

To be filled in BoS/Dean/Committee:-

Sr.No.	Subject & Paper Titles of Previous Examination	Subject & Paper Titles of SNP University	Subject & Paper which are not matching

Note:- If the applicant is given permission, he/she shall have to appear in all the Subject/papers which do not match with the course of the SNP University, Raigarh.

Remarks of the BoS/Dean/Committee:- Eligible ☐

(Please Tick the box) Not Eligible ☐

Name & Signature of
Bos/Dean/Committee

Date:-

Undertaking of the Student seeking eligibility Certificate

I am submitting the application along with all the relevant documents for the eligibility certificate. I shall comply with the decision of the University, Further, if any of the information or the documents submitted by me are found incorrect. The eligibility given to me may be revoked by the University and I shall accept the decision.

Signature of the Applicant

Forwarded by the Principal

Note:- (i) The applicant has to appear himself/herself in the University to apply for the Eligibility Certificate.

(ii) He/she shall have to deposit Rs. 250/- as a fee for the Certificate along with the application.

(iii) If the applicant applies for the certificate after the due date, he/she shall have to pay Rs. 500/- as late fee.

Documents to be attached by the Applicant:-

i. Copies of Mark sheets from 10th to last Qualifying Examinations.
ii. Domicile Certificate (Issued by Competent Authority)
iii. Affidavit for change in Name/Surname.
iv. Gap Certificate (If any)
v. A Copy of Seat allotment letter (where required)
vi. Two Pass port size latest photographs
vii. Migration Certificate
viii. Undertaking of the Applicant
ix. Syllabus of the previous University (Only for Equivalence seeking Applicants)
x. Admit Card/Certificate from the Exam Center regarding proof of appearing in the exam at the Center (Only for open university Distance mode examinations)